# एआईआर 9,13,379 रैंक वाले छात्र एवं 10,94,961 रैंक वाली छात्रा को एनआईटी

**कोटा, (निसं)।** देश की आईआईटी, एनआईटी समेत 121 संस्थानों की 59 हजार 917 सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग चल रही है। स्टूडेंट्स दूसरे राउण्ड के सीट आवंटन के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग 2 जुलाई शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। विद्यार्थी जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाएगी, उन्हें 3 जुलाई शाम 5 बजे तक आई क्वेरी का रेस्पॉन्स देना होगा। अन्यथा उनकी सीट निरस्त कर दी जाएगी। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के अनुसार जोसा काउन्सलिंग के दूसरे राउंड के सीट आवंटन में जेण्डर न्यूट्रल पूल कोटे से 9 लाख 13 हजार 379 रैंक वाले छात्र को ओपन केटेगरी में एनआईटी सिक्किम में होम स्टेट कोटे से सिविल ब्रांच आवंटित हुई है। इसके साथ ही जेण्डर न्यूट्रल पूल कोटे से आईआईटी की क्लोजिंग रैंक 15 हजार 955 रही जोकि आईआईटी धारवाड़ की इंट्राडीसिप्लनरी साइंस पचवर्षीय ब्रांच की है। वही दूसरी ओर फीमेल पूल कोटे से सुपर न्यूमरेरी सीटें मिलाकर 10 लाख 94 हजार 961 रैंक वाली छात्रा को ओपन केटेगरी में एनआईटी सक्किम में होम स्टेट कोटे से सिविल ब्रांच मिली है। साथ ही फीमेल पूल कोटे से आईआईटी की क्लोजिंग रैंक 24 हजार 420 रही जोकि धारवाड़ की इंट्राडीसिप्लनरी साइंस पंचवर्षीय ब्रांच की है। एक्सपर्ट आहूजा के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जिन्हें द्वितीय राउण्ड में आईआईटी से एनआईटी एवं एनआईटी से आईआईटी सीट का आवंटन हुआ है, उनके पहले राउण्ड सीट आवंटन में अपलोड किए गए दस्तावेजों को नए आवंटित सिस्टम से दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। उसके बाद ही इनकी नई आवंटित सीट कन्फर्म की जाएगी। इसके विपरीत जिन विद्यार्थियों को पूर्व में सीट का आवंटन हो चुका है और फ्लॉट व स्लाइड का विकल्प चुना है, उन्हें दूसरे राउण्ड में आईआईटी से आईआईटी एवं एनआईटी से एनआईटी सीट का आवंटन हुआ है और उनके पूर्व में सत्यपित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही नई सीट कन्फर्म की गई है। ये सभी विद्यार्थी अपनी पहले राउण्ड में आवंटित सीट को नई सीट आवंटित होने पर कोई क्लेम नहीं कर सकेंगे।

# 'जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवादों का समय पर निस्तारण करें'

**कोटा, (निसं)।** शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद नगर स्थित मां भारती विद्यालय में समस्या समाधान शिविर के अंतर्गत जनसुनवाई की जिसमें 174 प्रकरण प्राप्त हुए।

शिक्षा मंत्री ने एक-एक परिवादी की बात बड़ी ही तल्लीनता से सुनी और सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता से समय पर निस्तारण करें। जनसुनवाई स्थल पर ही सभी विभागों के स्टॉल लगाकर शिकायतों का पंजीयन किया गया।

शिक्षा मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी माह में की जाने वाली जनसुनवाई में सभी विभाग अपने-अपने विभागों की योजनाओं, उनकी पात्रता एवं किस प्रकार से आवेदन किया जाए इसकी जानकारी पर आधारित फ्लेक्स एवं पंपलेट का भी वितरण करना सुनिश्चित करें जिससे पात्र नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

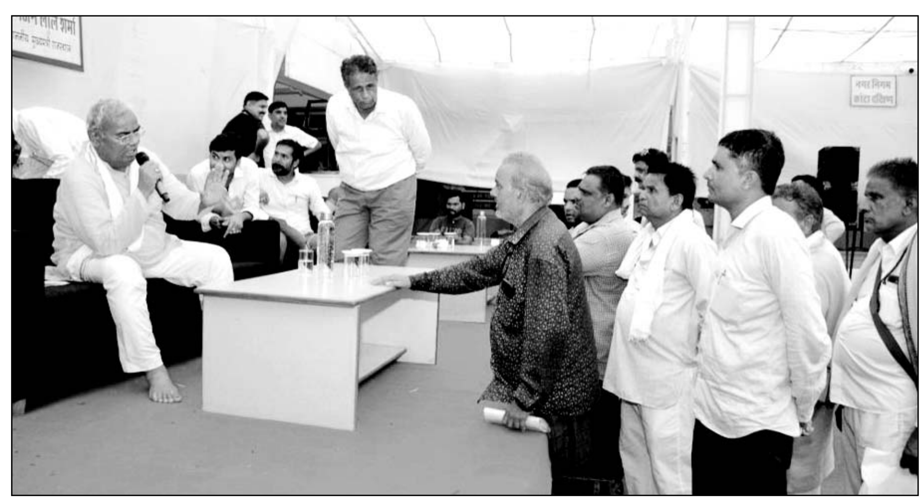

कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी है।

शिक्षा मंत्री ने कोटा विकास प्राधिकरण की उप सचिव को निर्देश दिए कि घुमंतू एवं बीपीएल परिवार के नागरिक जिनके पक्के घर या छत नहीं है उनका तीन माह में सर्वे कर विभिन्न योजनाओं में पुनर्वासित किया जाए। उन्होंने कोटा विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के खाली पड़े भूखंडों में कचरा एवं गंदा पानी भर जाने की शिकायत प्राप्त होने पर अधिकारियों को तीन दिवस में सफाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में खाद्य विभाग, पीएचईडी, जेवीवीएनएल केडीईएल, रोडवेज, चिकित्सा स्वास्थ्य, जिला उद्योग केंद्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, प्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित थे।

# प्रेरणादायक संवाद सत्र का आयोजन

**कोटा, (निसं)।** शहर की पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन और कोटा पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में रेजोनेंस कोटा परिसर में एक प्रेरणादायक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया। सत्र के दौरान उनके साथ विशेष रूप से डीवायएसपी मिस गरिमा, (कोटा शहर पश्चिम) भी शामिल रही।

इस सत्र में दुहन ने छात्रों का मार्गदर्शन किया और उन्हें विभिन्न विषयों पर प्रेरित किया। यह कार्यक्रम रेज़ोनेंस की स्टूडेंट केयर विंग श्रेज़ो केयरश् एवं कोटा पुलिस अमले के द्वारा आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक दुहन ने विद्यार्थियों के लिए समय सारिणी का पालन करने और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें और वांछित परिणाम प्राप्त करने की रणनीतियाँ अपनाएं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उचित उपयोग पर भी चर्चा की गई ।


## नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

क्रमांकः– 97 —:: सार्वजनिक विज्ञप्ति ::— दिनांकः– 24.06.2024

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा दक्षिण के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे भूखण्ड मालिक जिनके भूखण्ड खाली पडे हुये है और उन पर निर्माण कार्य नहीं किया है। वह अगले 15 दिवस में अपने भूखण्डो पर चारदिवारी कर मिट्टी इत्यादि भरकर उनको समतलीय करे ताकि बरसात के मौसम में उनमें मक्खी, मच्छर व जहरीले जीव–जन्तु इत्यादि नहीं पनपे और दुर्घटना नहीं हो। जो भी रिक्त भूखण्ड मालिक के द्वारा 15 दिवस में अपने भूखण्डो पर चारदिवारी कर समतलीय नहीं करेगें उन पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

राज.संवाद/सी/1378/2024–25 आयुक्त

## कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर ( राज. )

क्रमांकः-ननिको/को.उ./राजस्व/2024/95-96 दिनांकः-28.6.2024

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री सूरज सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी मकान नं. 52, 53 सरस्वती विहार रंगतालाब कोटा द्वारा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार SOD MULTI CUISINE रेस्टोरेन्ट जगन्नाथपुरा बारां रोड कोटा की अनुमति चाही गयी है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 307 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपविधि के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त नगर निगम कोटा ( उत्तर )


# ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर केन्द्रीय विद्युत एवं कोयला मंत्री मनोहर लाल से मिले

**कोटा, (निसं)।** ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल तथा केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान नागर ने दोनों केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष प्रदेश में बिजली एवं कोयले की आपूर्ति में सुधार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा। इस पर केन्द्रीय मंत्रियों ने पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय विद्युत मंत्री से संसद भवन स्थित कक्ष में हुई मुलाकात के दौरान प्रदेश में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, नए 33/11केवी जीएसएस निर्माण, फीडर सेपरेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिजली की बेहतर आपूर्ति सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है।

■ 'राजस्थान के विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कोयला खनन में केन्द्र से पूर्ण सहयोग मिलेगा'

केन्द्रीय बिजली मंत्री ने नागर को आश्वस्त किया कि राजस्थान के विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए आरडीएसएस योजना के माध्यम से जो प्रस्ताव राजस्थान सरकार की ओर से आएंगे उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र एवं राज्य की 60 अनुपात 40 की वित्तीय भागीदारी से यह योजना संचालित होती है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राजस्थान की ओर से इस योजना में 10 हजार करोड़ रूपयों के कार्यों के प्रस्ताव मंजूरी के लिए भिजवाए जाने हैं। नागर ने केन्द्रीय विद्युत मंत्री को राजस्थान के प्रवास पर आने के लिए आमंत्रित किया।

मनोहर लाल ने कहा कि वे बजट सत्र के बाद इस संबंध में केन्द्रीय अधिकारियों से चर्चा कर राजस्थान के दौरे की रूपरेखा तैयार करेंगे।

शास्त्री भवन में कोयला मंत्री रेड्डी से हुई मुलाकात के दौरान नागर ने उन्हें कोयले की आपूर्ति एवम इसके खनन से संबंधित प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों से अवगत कराया।

उन्होंने रेड्डी को बताया कि राजस्थान को आवंटित कैप्टिव माइंस हस्तांतरित हो जाती है तो कोयले की कोई कमी नहीं रहेगी तथा कोल इंडिया एवं अन्य स्रोतों से कोयले की खरीद पर होने वाले 40 प्रतिशत के अतिरिक्त वित्तीय भार का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इसका लाभ प्रदेश के बिजली तंत्र एवं उपभोक्ताओं को होगा। रेड्डी ने इस संबंध में केंद्र सरकार के स्तर पर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

# मुख्यमंत्री 30 जून को किसानों से संवाद करेंगे

**कोटा, (निसं)।** किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री 30 जून को दोपहर 12 बजे किसानों से संवाद करेंगे। वीसी के माध्यम से कोटा जिला मुख्यालय पर किसान सम्मान निधि योजना के 500 लाभार्थियों एवं जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर 200 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 50 लाभार्थियों से वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान (सिआम) ऑडिटोरियम में एवं जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा।


## कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः LU2012/KOT/2024-25/100721 लोक सूचना दि.28.06.2024

श्री PREM NARAYAN MALAV पुत्र श्री KALU LAL MALAV जाति DHAKAD निवासी RANGPUR ROAD, BHADANA, KISHANPURA TAKIYA KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भदाना, लाडपुरा (कोटा) | 1. KISHAN MURARI S/O KALULAL HISSA 1/5 CASTE- DHAKAD 2. PREMNARAYAN S/O KALU LAL HISSA 1/5, BRIJDEVI W/O KALU LAL HISSA 1/5, 4. RAJESHWARI D/O KALU LAL HISSA 1/5, 6- SURAJKALAM D/O KALU LAL HISSA 1/5 CASTE- DHAKAD KHATEDAR | 643 | 14100 | 1.41 |
| | | | | कुल | 1.41 |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28/06/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

## आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार रमेशचन्द आत्मज श्री घांसीलाल जाति लुहार उम्र 69 वर्ष निवासी के. एच. 56 सेक्टर 6 केशवपुरा कोटा के साथ उनके पुत्र मनीष पांचाल व पुत्रवधू सोनू पांचाल जो वर्तमान में मेरे पक्षकार के साथ निवासरत है परन्तु वे लोग आये दिन, मेरे पक्षकार व उसकी पत्नी श्रीमती कैलाश देवी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तथा मारपीट पर उतारू हो जाते हैं तथा आयेदिन मेरे पक्षकार व अन्य परिजनों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं तथा उक्त मकान जो मेरे पक्षकार के नाम रजिस्टर्ड है जिसका मेरा पक्षकार एकमात्र मालिक है और मेरा पक्षकार अपने पुत्र मनीष पांचाल व पुत्रवधू सोनू पांचाल को उनके उपरोक्त दुर्व्यवहार के कारण उनसे भविष्य में कोई संबंध नहीं रखना चाहता है एवं स्वेच्छा से अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता है और भविष्य में मनीष पांचाल व सोनू पांचाल कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पक्षकार व उसकी पत्नी कैलाश देवी की नहीं होगी तथा भविष्य में जो भी व्यक्ति मनीष पांचाल व सोनू पांचाल से व्यवहार करेगा उसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे पक्षकार व उसकी पत्नी कैलाश देवी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित हों।

राकेश गुप्ता, एडवोकेट
3/23 लाडपुरा, स्टाईलिश टेलर के उपर,
दि. 20.6.24 लाडपुरा, कोटा मो.- 9352602482

## कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक : LU2012/KOT/2024-25/100720 **लोक सूचना** दिनांक : 28.06.2024

श्री GIRIRAJ PRASAD पुत्र श्री BABU LAL PRASAD जाति MEGHWAL निवासी PREM NAGAR CHORAHA IST POOJA CYCLE KI GALI, PREM NAGAR UDHYOG PURI KOTA, ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सोगरिया, लाड़पुरा (कोटा) | GIRIRAJ PRASAD S/O BABU LAL PRASAD HISSA PURNA NIWASI PREM NAGAR CHOURAHA FIRST POOJA CYCLE KI GALI PREM NAGAR KOTA KHATEDAR | 112/455 | 18700 | 1.87 |
| | | | 677/673 | 1000 | 0.1 |
| | | | | कुल | 1.97 |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28.06.2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा


# थैलेसीमिया रोगियों के लिए नि:शुल्क कैम्प का आयोजन आज

**कोटा, (निसं)।** सेवा भारती कोटा महानगर (कोटा) द्वारा दिल्ली-एन. सी.आर की संस्था ग्लोबली इंटीग्रेटिड फॉउंडेशन फॉर थैलेसीमिया (गिफ्ट) के साथ मिलकर कोटा व आसपास के शहरों के थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए नि:शुल्क कैम्प का आयोजन 29 मई को दोपहर 12 बजे शहर के लायंस क्लब भवन, झालवाड़ रोड, एयरपोर्ट के सामने किया जा रहा है।

शिविर में 12 वर्ष तक कि आयु वर्ग के थैलेसीमिक बच्चों, उनके सगे भाई-बहनों, माता-पिता की पूर्णतया निशुल्क एचएलए (ह्यूमैन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेन) जांच की जायेगी। गिफ्ट संस्था के संस्थापक मदन चावला के अनुसार थैलेसीमिया के स्थाई इलाज (बोन मैरो ट्रांसप्लांट) के लिए यह जांच सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस जांच के बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट की संभावना ही नहीं है। बाजार में एक व्यक्ति की एचएलए जांच की लागत लगभग 10 से 12 हजार रुपए तक होती है। इस शिविर में थैलेसीमिक बच्चों की निशुल्क जाँच व इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए विशेष रूप से फोर्टिस मैमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से बाल रक्त विकार, कैंसर एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ विकास दुआ व उनके सहयोगी डॉ अरुण दनेवा आ रहे हैं।

सेवा भारती वर्षों से जरूरतमंद बच्चों की विभिन्न प्रकार से मदद एवं में निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। चिकित्सा आयाम प्रमुख सुरेंद्र अग्रवाल के अनुसार थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों की मदद के लिए यह नि:शुल्क शिविर एक अच्छी शुरूआत है। इस शिविर में जिन बच्चों का एच एल ए मिलान हो जायेग, लायंस क्लब, गिफ़्ट थैलेसीमिया फॉउंडेशन एवं फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम के सयुंक्त प्रयास से बिल्कुल कम से कम लागत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाये जाएंगे। भविष्य में भी कोटा और राजस्थान के अन्य शहरों में ऐंसे शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा। इस तरह का यह शिविर कोटा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसका लाभ कोटा व आसपास के थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे ले सकते हैं।

# प्रग्गेश यादव ने एसडीपी डोनेट की

**कोटा, (निसं)।** टीम जीवन दाता द्वारा लोगों की मदद का सिलसिला निरंतर जारी है। ऐसे में भर्ती मरीज जोगेन्द्र को दूसरी बार ए पॉजिटिव एसडीपी उपलब्ध कराई है। टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि निजी अस्पताल में भर्ती जोगेंद्र के परिजन लगातार परेशान हो रहे थे। परिजन अमर ने टीम जीवनदाता से फिर से एक बार एसडीपी के लिए गुहार लगाई।

दूर दराज से आने के कारण कोई उनके साथ भी नहीं था, लेकिन उनकी पूरी मदद की गई। ऐसे में प्रग्गेश यादव को कॉल किया तो वह सीसीटीवी लगाने का कार्य करते हैं और कहीं साइड पर व्यस्त थे, लेकिन जब उन्हें मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में बताया तो वह तुरंत ही राजी हो गए और अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और तीसरी बार एसडीपी डोनेट की है।

वह इससे पूर्व 20 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। उनके पिता गौशाला चलते हैं और गायों की पूजा करते हैं। पिता भी अपने समय में रक्तदान करते रहे हैं और प्रग्गेश में भी संस्कार घर से ही आए हैं। उन्होंने कहा कि सेवा का प्रतिफल जीवन में सुखद संदेश देता है।

# कृषि जिन्सों पर एक प्रतिशत मण्डी शुल्क करने की मांग की

**कोटा, (निसं)।** लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने किसान हित में मंडियों में बिकने वाले माल के ऊपर कोरोना काल के दौरान लगाये गये मण्डी शुल्क के अतिरिक्त 1.00 प्रतिशत कृषक कल्याण फीस को हटाने एवं मध्यप्रदेश में लग रहे मंडी शुल्क की भांति ही राज्य में 1.60 प्रतिशत के स्थान पर शुल्क 1.00 प्रतिशत करने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मांग की।

विधायक ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना काल में राज्य में लागू मंडी शुल्क की दर 1.60 प्रतिशत के अतिरिक्त 1.00 प्रतिशत कृषक कल्याण फीस (के.के.एफ.) कोरोना के नाम पर लगाया गया था। जिस पर पूरे राज्य में मण्डी व्यापारी, संस्थाओं एवं किसान संगठनों ने इसका विरोध किया। तत्कालीन सरकार ने विरोध के फलस्वरूप 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए इसे 1.00 प्रतिशत की बजाय 0.50 प्रतिशत कर दिया था। इस प्रकार इस शुल्क के लगने से राज्य में कुल मण्डी शुल्क (1.60 0.50) 2.10 प्रतिशत उस समय लागू हो गया था। वर्तमान सरकार ने कृषक कल्याण फीस को दिनांक 30 जून 2024 तक की अवधि के लिए बढा दिया था। यदि सरकार द्वारा इसमें कोई बदलाव नही किया गया तो नियत अवधि के उपरांत दिनांक 01 जुलाई 2024 से राज्य के व्यापारियों पर मण्डी शुल्क के अलावा कृषक कल्याण फीस पूर्व की भांति 1.00 प्रतिशत लागू हो जायेगी एवं किसानों पर पड़ने वाला भार (1.60 1.00) 2.60 प्रतिशत हो जायेगा। मण्डी शुल्क के अतिरिक्त इस 1.00 प्रतिशत कृषक कल्याण फीस के लगने से अप्रत्यक्ष रूप से किसान को भावों में काफी नुकसान होगा। राजस्थान से सटे मध्यप्रदेश राज्य में वर्तमान में मण्डी शुल्क मात्र 1.00 प्रतिशत है। इस विसंगति से राज्य का सम्पूर्ण व्यापार प्रभावित हो रहा है।

किसानों को मध्यप्रदेश की मंडियों में अपनी जिंसों का अधिक भाव मिलने से वह माल वहां ले जाने लगे हैं। जिस कारण राज्य सरकार के राजस्व में भी नुकसान हो रहा है। किसान हित में मंडियों में बिकने वाले माल के ऊपर कोरोना काल के दौरान लगाये गये मण्डी शुल्क के अतिरिक्त 1.00 प्रतिशत कृषक कल्याण फीस को हटाने एवं मध्यप्रदेश में लग रहे मंडी शुल्क की भांति ही राज्य में 1.60 प्रतिशत के स्थान पर 1.00 प्रतिशत करने हेतु पत्र लिखा है।


## आम सूचना

हर आम व खास को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार मोहम्मद इदरीस अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान निवासी 5, गली नं. 9-ए, सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड कोटा राजस्थान द्वारा एक मकान दो मंजिला जो भूखण्ड संख्या 1-बी के पश्चिम दिशा वाले आधे भाग पर बना हुआ है। जिसकी पैमायश 34X24=816 वर्गफुट वाके गली नं. 9, सरस्वती कॉलोनी बारां रोड, ग्राम रामपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है जो आरजी खसरा संख्या 540 व 541 में का भाग है, का क्रय श्री साजिद अंसारी आत्मज श्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी मकान नं. 209-बी, वक्फ नगर दादाबाडी कोटा से कर रहा है उक्त मकान के संबंध में एक इकरारनामा साजिद अंसारी द्वारा मेरे पक्षकार के पक्ष में दिनांक 28.06.2024 को आलेखित कर दिया है। उक्त मकान के खरीद-फरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई उज्र या आपत्ति हो तो सात दिवस में मुझे सूचित करें। अन्यथा कोई उज्र या आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित हो।

भवदीय
प्रवीण कुमार पनवाड़, एडवोकेट
मो.न.9413201205

## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1492 विज्ञप्ति दिनांकः-28.6.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी में स्थित कृषि भूमि योजना लक्ष्मण विहार भूखण्ड संख्या 38 खसरा नं. 375 आवेदक/आवेदिका श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी श्री आशीष पाण्डे निवासी वार्ड नं. 3 केशवरायपाटन बून्दी राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 13108 दिनांक 23.11.2012 को श्रीमती मेघा पंवार पत्नी श्री उत्पल पवार के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा बैंक ऑफ बडौदा से ऋण लिया गया था। ऋण का भुगतान नही करने के कारण बैंक द्वारा उक्त भूखण्ड का कुर्क कर श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी श्री आशीष पाण्डे को जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2023 को बैचान किया गया है।

अतः श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी श्री आशीष पाण्डे के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-747 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 26.6.2024

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा सुभाष नगर आवासीय योजना भूखण्ड संख्या 257 का आवंटन/हस्तांतरण पत्र क्रमांक 314-15 दिनांक 10.07.2005 को श्री समीम अहमद पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन को किया गया था। आवंटी श्री समीम अहमद पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन द्वारा उक्त भूखण्ड का मुख्तारआम श्री रजनीश कुमार श्रृंगी पुत्र श्री सत्यनारायण श्रृंगी को मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। मुख्तारआम श्री रजनीश कुमार श्रृंगी पुत्र श्री सत्यनारायण श्रृंगी द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 257 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2008 को श्री संजीव गौत्तम पुत्र श्री महावीर प्रसाद के द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 257 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री संजीव गौत्तम पुत्र श्री महावीर प्रसाद के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा


# 'पर्यटकों की सुविधा के लिए रिसेप्शन बनाया जाए'

**कोटा, (निसं)।** जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक जिला कलक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें कलक्टर डॉ. गोस्वामी ने किशोरपुरा सीसीएफ ऑफिस से कराई जा रही चम्बल नदी में बोटिंग सफारी को चम्बल गार्डन बोटिंग से कराने के लिए पर्यटन और वन विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग द्वारा चम्बल नदी में बोटिंग किराया दर का सूचना पट्ट किशोरपुरा सीसीएफ ऑफिस एवं चम्बल गार्डन पर स्पष्ट दरों में लगाने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने कोटा के होटल मालिकों से कहां कि वे पर्यटकों के लिए मुकंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व सफारी के लिए जिप्सी लगाकर रूट तैयार करें एवं उसका प्रचार प्रसार भी करें ताकि पर्यटक सफारी का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए की रणथंभौर से उदयपुर या उज्जैन जाने वाले पर्यटक कोटा में रुककर पर्यटन स्थलों का भी लाभ लें।

उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं वन विभाग आपसी समन्वय कर एक ऐसा रिसेप्शन काउंटर तैयार करें जहां एक ही छत के नीचे सभी पर्यटकों को मिलने वाली सुविधा, कोटा एवं निकटतम पर्यटन स्थलों की सूची, वाहनों की सुविधा, सफारी, ठहरने के लिए होटल की जानकारी, सफारी बुकिंग आदि की जानकारी मिल सके। जिला कलक्टर ने हाड़ौती टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर को कहा कि 16-17 अगस्त को विभिन्न ट्रैवल एजेंट्स का टूर चम्बल रिवर फ्रंट पर आयोजित किया जाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि कोटा व्यापार संघ एवं एचटीडीसी आपसी समन्वय कर इस आयोजन से कोटा में पर्यटन को और सुदृढ़ बनाएं।

■ जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित हुई

उन्होंने कहा पर्यटन विभाग एवं केडीए बैठक कर पंजीकृत पर्यटक गाईड कार्ड होल्डर की सूची मिलान कर चंबल रिवर फ्रंट तथा ऑक्सीजोन पार्क मे नि:शुल्क प्रवेश की कार्रवाई करें।

डॉ. गोस्वामी ने कहा चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजोन पार्क में फिल्म, डाक्यूमेंट्री वेब सीरीज, राजस्थानी फिल्म की फिल्म शूटिंग के लिए दरें निर्धारण करने की औपचारिकता को जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि दशहरा मेले के दौरान नवाचारों के तहत देश के प्रतिष्ठित ट्रेवल एजेंट्स, ब्लॉगर्स, ट्रेवल फोटोग्राफर, ट्रेवल राइटर्स को आमंत्रित किया जाए व कोटा के पर्यटक स्थलों एवं पर्यटन की संभावना का राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए।

उन्होंने कहा पर्यटन विभाग, नगर निगम के साथ समन्वय कर साप्ताहिक रूप से कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सफाई स्वयं की निगरानी में कराना सुनिश्चित करे। कलेक्टर डॉ. गोस्वामी ने कहा पर्यटन विभाग नियमित रूप से केडीए के साथ संपर्क कर विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या आदि की सूचना प्राप्त करें। उन्होंने नयापुरा बाग के समीप स्थित ऐतिहासिक घोडा तथा चंबल गार्डन के निकट स्थित ऐतिहासिक हाथी एवं घोड़े के सौन्दर्यकरण व उम्मेद क्लब एवं पुराने चिड़ियाघर के मध्य स्थित ऐतिहासिक बैंड स्टेंड का पुनरूद्धार कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा पर्यटन विभाग, कोटा में पर्यटन को सुदृण, सरल एवं समृद्ध करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें व सभी प्रमुख भागीदारों को इसका सदस्य बनाएं ताकि उसमें नियमित रूप से पर्यटन से संबंधित कार्यों एवं प्रगति की चर्चा की जा सके।

उन्होंने कहा पर्यटन विभाग बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना साप्ताहिक रूप से देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कोटा में केबल कार संबंधी प्रपोजल तैयार किया जाए ताकि कोटा में एक नई पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कोटा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए आम जनता का सहयोग एवं सहभागिता बढ़ाई जाए ताकि कोटा का पर्यटन विश्व पटल पर अपना स्थान बना सके। बैठक में भीतरिया कुण्ड के जीर्णोद्धार, पर्यटकों की सुविधा के लिए रेल्वे स्टेशन, नया बस स्टेंड पर प्रीपेड टैक्सी बूथ की स्थापना, रॉक पेन्टिग व चट्टानेश्वर जाने वाले पर्यटकों के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डीएफसी अभिमन्यु शरन, पर्यटन विभाग के उप निदेशक विकास पंड्या, सहायक निदेशक संदीप श्रीवास्तव, कन्वीनर इंटेक कोटा चेप्टर निखलेश सेठी, कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे।


## राजस्थान सरकार
## कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 ( 2 ) के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 40 /2024

( नाम वर्णन तथा निवास स्थान )

चूंकि श्री अकबर अली रंगवाला निवासी प्लोट नं. 1 बुरहानी पार्क, रामनगर, नान्ता कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास एम.एस.बी. एज्युकेशनल सोसायटी प्लोट नं. 1 बुरहानी पार्क रामनगर नान्ता कोटा के संबंध में पंजीयन हेतु जांच किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 27.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 28.08.2024 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांकः-उ.आ.आ./को.वृ.को./2023-2024/2473 दिनांकः 27.06.24

**जाहिर आम सूचना**

आवास संख्या 4 एल 6 दादाबाड़ी विस्तार कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती बीना रानी पत्नी श्री अशोक कुमार को किया गया। श्रीमती बीना रानी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा द्वारा आलेखित कर दिनांक 30.08.1983 को श्रीमती प्रवेश शर्मा पत्नी श्री पूरणचन्द शर्मा को किया गया। श्रीमती प्रवेश शर्मा की मृत्यु दिनांक 26.01.2008 को हो गयी, मृत्यु पश्चात उनके वारिसान श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरणचन्द शर्मा द्वारा इस कार्यालय में अपने पक्ष में नियमितिकरण हेतु आवेदन किया गया।

अतः इस आवास का नियमितिकरण श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरणचन्द शर्मा के नाम करने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का नियमितिकरण श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरणचन्द शर्मा के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का नियमितिकरण श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरणचन्द शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा

क्रमांक 2462 जाहिर आम सूचना दिनांक - 26.6.24

आवास संख्या 3-डी-53 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री शिव कुमार पुत्र श्री साधुराम को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती राजरानी पपनेजा पत्नी श्री जगजीत राय पपनेजा के नाम दिनांक 27.03.2000 को किया गया। श्रीमती राजरानी पपनेजा पत्नी श्री जगजीत राय पपनेजा द्वारा इस आवास का पंजीयन दिनांक 31.03.2000 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। श्रीमती राजरानी पपनेजा की मृत्यु दिनांक 14.08.2007 को हो जाने के कारण उक्त आवास का हस्तान्तरण श्री जगमोहन पपनेजा पुत्र स्व. श्री जगजीत राय पपनेजा, श्री हरश कुमार पपनेजा पुत्र स्व. श्री जगजीत राय पपनेजा, श्री विनोद पपनेजा पुत्र स्व. श्री जगजीत राय पपनेजा, श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री स्व. श्री जगजीत राय पपनेजा, श्री धरम छिब्बर पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार छिब्बर एवं श्रीमती ईशा छिब्बर पुत्री स्व. श्री सुरेश कुमार छिब्बर के नाम दिनांक 30.05.2023 को किया गया। तत्पश्चात श्री जगमोहन पपनेजा पुत्र स्व. श्री जगजीत राय पपनेजा, श्री हरश कुमार पपनेजा पुत्र स्व. श्री जगजीत राय पपनेजा, श्री विनोद पपनेजा पुत्र स्व. श्री जगजीत राय पपनेजा, श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री स्व. श्री जगजीत राय पपनेजा, श्री धरम छिब्बर पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार छिब्बर एवं श्रीमती ईशा छिब्बर पुत्री स्व. श्री सुरेश कुमार छिब्बर द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्यवाही किए जाने हेतु दिनांक 04.09.2023 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री धर्मेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री बनवारी लाल को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्री धर्मेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री बनवारी लाल द्वारा मुख्तारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 20.10.2023 को श्रीमती रेणु सिसोदिया पत्नी श्री पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया को किया गया। श्रीमती रेणु सिसोदिया पत्नी श्री पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के अभिलेख में अपना नाम दर्ज करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस आवास के अभिलेख में श्रीमती रेणु सिसोदिया पत्नी श्री पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया का नाम दर्ज करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास के अभिलेख में श्रीमती रेणु सिसोदिया पत्नी श्री पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के अभिलेख में श्रीमती रेणु सिसोदिया पत्नी श्री पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया का नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा